



150

+

न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी

निगरानी 2273-I/2016

श्री कुंवरलाल कोल पिता श्री रामसाहय कोल निवासी 32 कोसमघाट तहसील व जिला जबलपुर म.प्र.

--- आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जबलपुर

--- अनावेदक

श्री. प्र. पी. चान्दा एस.
द्वारा आज दि. 08-10-16 को
प्रस्तुत
कलेक्टर को
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(Signature)
20.6.16

श्री. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला जबलपुर प्र.क.
80/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2016
के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

निगरानी के संक्षेप में तथ्य:-

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक श्री कुंवरलाल पुत्र श्री रामसाहय कोल आदम जनजाति का सदस्य है। तथा उसके स्वामित्व की कृषि भूमि मौजा जमुनियां प.ह.न. 53/81 रा.नि.म. खमरिया स्थित भूमि सर्वे. नं. 374/2 रकवा 0.40 हे., कृषि भूमि आदिवासी से गैर आदिवासी मद में परिवर्तित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्र.क. 80/अ-21/2015-16 पर पंजी पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण जांच हेतु अनु.वि. अधि. राजस्व जबलपुर के माध्यम से तहसीलदार महोदय खमरिया को जांच हेतु भेजा गया। प्रकरण पंजीवद्ध कर आपत्तीयां आहुत की गई समयावधि मे कोई

R/p

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर
आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण क्रमांक 2273-एक/2016 निगरानी

जिला जबलपुर

थानक तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.7.16	<p>यह निगरानी कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 80/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20-6-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण का सारोश यह है कि ग्राम जमुनिया तहसील जबलपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 374/2 रकबा 0.400 हैक्टर (0.98एकड़) का भूमिस्वामी कुंवरलाल कोल पुत्र रामसहाय है जिसके द्वारा कलेक्टर जबलपुर को म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि विक्रय की मांग की गई। कलेक्टर जबलपुर ने आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर से कराई। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार वृत्त खम्हरिया से जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 20.6.16 प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर जबलपुर ने अंतरिम आदेश दिनांक 20-6-16 पारित करके पुर्नजांच प्रतिवेदन की मांग की। इसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>4/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक द्वारा बताया गया कि आवेदक ने उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि स्थित ग्राम जमुनिया सर्वे क्रमांक 374/2 रकबा 0.400 है. के विक्रय की</p>	





प्र0क02273-एक/2016 निगरानी

अनुमति चाही थी, विक्रय अनुबंध के अनुसार प्रचलित गाईड लायन के मान से विक्रय धन केता द्वारा दिया जा रहा है। भूमि विक्रय के वाद केता के पास 7.190 हैक्टर भूमि शेष बचने से आजीविका का साधन है। भूमि सर्वे क्रमांक 374/2 रकबा 0.400 है. आवेदक के नाम वर्ष 1961 के पूर्व से होना अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 41/अ-54/61-62 में चकबंदी री-नम्बरिंग सूची से होना प्रमाणित है जिस पर संहिता की धारा 165 (7-ख) लागू नहीं होती है इसके वाद भी कलेक्टर द्वारा विक्रय अनुमति न देने में भूल की है एवं प्रकरण को उलझाने के लिये वार-बार जाँच में वापिस किया जा रहा है उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

5/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यह सही है कि अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 41/अ-54/61-62 में चकबंदी री-नम्बरिंग सूची से होना वादग्रस्त भूमि वर्ष 1961 से आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर होना प्रमाणित है । आवेदक ने वादग्रस्त भूमि के विक्रय का अनुबन्ध दिनेश सिंह गौर से दिनांक 4 अप्रैल 2016 को किया है एवं कलेक्टर को विक्रय अनुमति आवेदन इसी दिन प्रस्तुत किया है। कलेक्टर ने आवेदन के तथ्यों की जांच अनुविभागीय अधिकारी से कराई है एवं अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने अधीनस्थ अधिकारियों से जांच कराते हुये प्रतिवेदन दिनांक 20-6-16 प्रस्तुत कर प्रचलित गाईड लायन के मान से आवेदक को विक्रय धन न मिलना प्रतिवेदन किया है जिसके कारण कलेक्टर द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक





न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर
आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण क्रमांक 2273-एक/2016 निगरानी

जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	<p>20-6-16 से वर्तमान मूल्य पर पुर्नजाँच प्रतिवेदन मांगा है। प्रकरण में सर्वप्रथम विचार योग्य बिन्दु है कि क्या वर्ष 1961 के पूर्व से आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित चली आ रही भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन है ?</p> <p>1. आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य एक 2013 रा०नि० 8 का न्यायिक दृष्टांत हैं कि -</p> <p>भू राजस्व संहिता 1959 (म०प्र०)-धारा 165(7-ख) में यह उल्लेख नहीं है कि भूतलक्षी प्रभावी होगी। इस धारा के उपबंधों से यह स्पष्ट है कि यह भूमिस्वामी द्वारा अर्जित निहित अधिकार छीनती है तथा भूमि के विक्रय के विषय में कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेने के सम्बन्ध में नया दायित्व सृजित करती है या नया कर्तव्य अधिरोपित करती है। अतएव धारा भूतलक्षी प्रवर्तन होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।</p> <p>जो भूमिस्वामी अधिकार 1978 में दिये गये, संहिता की धारा 165(7-ख) के अंतर्गत छीने नहीं जा सकते। भूमिस्वामी को विक्रय करने का निहित अधिकार है उनके अधिकार संहिता की धारा 165(7-ख) के अंतःस्थापन से उन्मुक्त तथा अप्रभावित है और संहिता की धारा 158(3) की स्थिति वही रहेगी, क्योंकि यह 2-10-1992 के संशोधन द्वारा अंतःस्थापित की गई है।</p> <p>2. फुल्ला विरुद्ध नरेन्द्र सिंह तथा अन्य 2012 राजस्व निर्णय 256 उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि</p> <p>भू राजस्व संहिता 1959 (म०प्र०)-धारा 165(7-ख) तथा धारा 158 (3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व</p>	

R/S

[Signature]

का पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया- उपबंध आकर्षित नहीं होते हैं। भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जब आवेदक वर्ष 1961 के पूर्व से ग्राम जमुनिया सर्वे क्रमांक 374/2 रकबा 0.400 है. का भूमिस्वामी दर्ज चला आ रहा है , विक्रय अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।

6/ जहाँ तक आवेदक को चालू वर्ष की गाईड लायन के मान से विक्रय प्रतिफल न मिलने का प्रश्न है ? यह ध्यान देने योग्य है कि जब उप पंजीयक के समक्ष विक्रय पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उप पंजीयक विक्रय पत्र तभी संपादित करता है जबकि चालू वर्ष की गाईड लायन से विक्रय विलेख तैयार कर प्रस्तुत किया गया हो और जब चालू वर्ष की गाईड लायन के मान से विक्रय प्रतिफल लिये जाने-दिये जाने का विक्रय विलेख में अँकन है कोई विक्रेता कम मूल्य प्राप्त कर अधिक मूल्य के विक्रय विलेख को हस्ताक्षरित नहीं करेगा।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 80/अ-21/2015-16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20-6-2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके स्वात्ति की ग्राम जमुनिया सर्वे क्रमांक 374/2 रकबा 0.400 है0 के विक्रय अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उप पंजीयक विक्रय विलेख प्रस्तुत होने पर कलेक्टर के आदेश दिनांक 20-6-16 में अंकित अनुसार गाईड लायन वर्ष 1016-17 के मान से विक्रय पत्र संपादित


R
2/5

M

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर
आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण क्रमांक 2273--एक/2016 निगरानी

जिला जबलपुर

स्थापन तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
R J a	<p>करेंगे।</p> <p>1. विक्रय पत्र संपादन के पूर्व उप पंजीयक सत्यापन कर लेवें कि आवेदक को गाईड लायन वर्ष 1016-17 के मान से विक्रय धन प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। विक्रय प्रतिफल मिलने की संतुष्टि उपरांत विक्रय पत्र संपादित किया जाय।</p> <p>2. इस आदेश के तीन माह की अवधि के भीतर वादग्रस्त भूमि के विक्रय विलेख का संपादन अनिवार्य है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	